213

उत्तराखण्ड शासन
गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग
संख्या–852/14/1/XXI/2012-15
देहरादून : दिनांक 09 अक्टूबर, 2015

कार्यालय ज्ञाप

मंत्री/राज्यमंत्री स्तर (दर्जा) प्राप्त महानुभावों तथा अन्य दायित्वधारी महानुभाव, जो विभिन्न आयोगों/निगमों/परिषदों आदि में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सलाहकार अथवा अन्य पदों पर नियुक्त हैं, को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या–509/14/1/XXI/2012-15 दिनांक 04 जून 2015 द्वारा कतिपय सुविधायें अनुमन्य की गयी हैं।

2. उक्त कार्यालय ज्ञाप के प्रस्तर–1 के बिन्दु संख्या– (2) में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की मुझसे अपेक्षा की गई है :–

1) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उक्त महानुभावों को शासकीय वाहन उपलब्ध न होने की दशा में **किराये का वाहन (टैक्सी)** उपलब्ध कराया जायेगा। मंत्री स्तर प्राप्त महानुभावों को वाहन का मासिक किराया अधिकतम रूपये 40,000/– एवं राज्यमंत्री स्तर प्राप्त महानुभावों तथा अन्य दायित्वधारी महानुभावों को अधिकतम रूपये 35,000/– प्रतिमाह अनुमन्य होगा। उक्त मासिक किराये में वाहन के साथ–साथ वाहन चालक, गाड़ी का अनुरक्षण एवं ईंधन का व्यय सम्मिलित होगा।

2) पदीय कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उक्त महानुभावों को शासकीय वाहन उपलब्ध न होने की दशा में **स्वयं के निजी वाहन** उपयोग करने की अनुमति प्रदान की जाती है। निजी वाहन का उपयोग शासकीय कार्यों में करने की दशा में उक्त महानुभावों को परिवहन विभाग के शासनादेश संख्या– 65/IX-1/2013/215/2011 दिनांक 17 जनवरी, 2013 के अनुसार अधिकतम रूपये 23,000/– प्रतिमाह की धनराशि अनुमन्य होगी तथा भुगतान हेतु प्रक्रिया /व्यवस्था परिवहन विभाग के वर्णित शासनादेश के अनुसार लागू होगी। उक्त धनराशि में वाहन चालक का मानदेय, वाहन का अनुरक्षण एवं ईंधन का व्यय भी सम्मिलित होगा।

3. उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप संख्या–509/14/1/XXI/2012-15 दिनांक 04 जून 2015 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

(डॉ. एम.सी. जोशी)
सचिव।

<u>संख्याः–852 (1)/14/1/XXI/2012-15 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मा. मुख्यमंत्री, समस्त मा. मंत्रियों के निजी सचिव।
2. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. स्टाफ ऑफिसर–मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ।